श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के परिसर, सम्बद्ध राजकीय महाविद्यालयों तथा निजी स्ववित्त पोषित संस्थानों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क

विश्वविद्यालय के शैक्षिक परिषद, वित्त समिति की संस्तुति पर कार्य परिषद द्वारा निम्नवत शुल्क अनुमोदित किये गये हैं:-

क्रमांक	विवरण	निर्धारित शुल्क
1	नये छात्रों हेतु नामांकन शुल्क	रू0 200/-
2	प्रवजन प्रमाण पत्र शुल्क	रू0 200/-
3	लिप्यांतरण (Transcription) शुल्क	रू0 1000/-
4	अंकेक्षण (Scrutiny) शुल्क प्रति प्रश्न	रू0 300/-
5	पर्यावरण परीक्षा शुल्क (सेमेस्टर सिस्टम में लागू नहीं)	रू0 200/-
6	वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षाओं हेतु डिग्री शुल्क	रू0 400/-
7	स्ववित्त पोषित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नये छात्रों से पंजीकरण शुल्क	रू0 1000/-
8	परीक्षा शुल्क (संस्थागत छात्र)	
	(i) स्नातक स्तर	रू0 900/- प्रति सेमेस्टर
	(ii) परास्नातक स्तर	रू0 1100/- प्रति सेमेस्टर
9	परीक्षा शुल्क (भूतपूर्व छात्र केवल वार्षिक परीक्षा पद्धति वाले)	
	(i) स्नातक स्तर	रू0 1200/-
	(ii) परास्नातक स्तर	रू0 1400/-
	(iii) बी0एड0 वार्षिक	रू0 1500/-
	(iv) एम0एड0 वार्षिक	रू0 1800/-
10	अंक सुधार परीक्षा शुल्क (पारम्परिक पाठ्यक्रम) (संस्थागत/व्यक्तिगत एवं सेमेस्टर बैकलाग)	रू0 500/-
11	परीक्षा शुल्क (व्यावसायिक तथा स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम)	
	(i) स्नातक स्तर सेमेस्टर	रू0 1700/-
	(ii) परास्नातक स्तर सेमेस्टर	रू0 2200/-
12	अंक सुधार परीक्षा (व्यावसायिक तथा स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम)	रू0 700/-
13	परीक्षा शुल्क (व्यक्तिगत छात्र)	
	(i) स्नातक	रू0 1500/-
	(ii) परास्नातक	रू0 1800/-
14	बी0एड0 प्रवेश परीक्षा शुल्क	
	1. सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग	रू0 1200/-
	2. अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग	रू0 700/-
	बी0एड0 प्रवेश परीक्षा काउंसिलिंग शुल्क	
	1. सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग	रू0 700/-
	2. अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग	रू0 400/-

नोटः- परीक्षा शुल्क, परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय परीक्षार्थी द्वारा आनलाइन जमा किया किया जायेगा।

निजी स्ववित्त पोषित संस्थानों द्वारा लिया जाने वाला शुल्क

विश्वविद्यालय द्वारा गठित शुल्क निर्धारण समिति की संस्तुति पर मा0 कुलपति के अनुमोदन के उपरान्त विश्वविद्यालय से सम्ब) निजी स्ववित्त पोषित संस्थानों में निम्न विवरणानुसार शुल्क ढांचा इस प्रतिबन्ध/शर्त के साथ निर्धारित किया गया है कि राज्य प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति द्वारा शुल्क निर्धारण किये जाने पर यह स्वत: निरस्त/समाप्त समझा जायेगा। यह शुल्क ढांचा विश्वविद्यालय के पत्र संख्या: SDSUV/Affi/2017-18 दिनांक 14 जुलाई 2017 द्वारा प्रसारित किया गया है।

1. परम्परागत पाठ्यक्रमों हेतु संस्थानों द्वारा लिया जाने वाला शुल्क

क्रमांक	पाठ्यक्रम/विषय	निर्धारित शुल्क
	स्नातक पाठ्यक्रम	
1	बी0ए0 (सामान्य)	रू0 12000/- प्रतिवर्ष
2	बी0एस0सी0 (PCM/CBZ)	रू0 18000/- प्रतिवर्ष
3	बी0काम0	रू0 12000/- प्रतिवर्ष
	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	
1	एम0एस0सी0 (जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान एवं अन्य प्रयोगात्मक विषय)	रू0 30000/- प्रतिवर्ष
2	एम0एस0सी0 (गणित)	रू0 25000/- प्रतिवर्ष
3	एम0ए0 (सभी प्रयोगात्मक विषय)	रू0 20000/- प्रतिवर्ष
4	एम0ए0 (सभी गैर प्रयोगात्मक विषय)	रू0 15000/- प्रतिवर्ष
5	एम0काम0	रू0 20000/- प्रतिवर्ष

2. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु संस्थानों द्वारा लिया जाने वाला शुल्कः-

क्रमांक	पाठ्यक्रम/विषय	निर्धारित शुल्क
	स्नातक पाठ्यक्रम	
1	बी0काम0(CFA)	रू0 20000/- प्रतिवर्ष
2	बी0लिब0	रू0 18000/- प्रतिवर्ष
3	बी0बी0ए0/बी0सी0ए0/बी0एच0एम0	रू0 20000/- प्रति सेमेस्टर
4	बी0एस0सी0 (Microbiology)	रू0 20000/- प्रति सेमेस्टर
5	बी0एस0सी0 (Home Science)	रू0 30000/- प्रतिवर्ष
6	बी0एस0सी0 (Computer Science)	रू0 30000/- प्रतिवर्ष
7	बी0लिब0 (ISC)	रू0 30000/- प्रतिवर्ष
8	बी0एस0सी0 (Agri) बी0एस0सी0 (Forestry) बी0एस0सी0 (Horticulture)	रू0 20000/- प्रति सेमेस्टर
9	बी0एस0सी0 (Food Technology)	रू0 20000/- प्रति सेमेस्टर
10	बी0ए0 (Mass Communication)	रू0 20000/- प्रतिवर्ष
11	बी0ए0 (Vocational Studies) Tourism Management	रू0 20000/- प्रतिवर्ष

शपथ पत्र का प्रारूप (केवल छात्र/छात्रा द्वारा भरा जायेगा)

1. मैं..पुत्र/पुत्री/श्री/श्रीमती.. ने रैगिंग निषेध के विधि/उच्चतम न्यायालय तथा केन्द्रीय/राज्य सरकारों के इससे सम्बन्धित निर्देशें को भली भांति पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है।
2. मैंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग रोकने से सम्बन्धित विनियम 2009 की एक प्रतिलिपि प्राप्त कर ली है तथा उसे ध्यान से पढ़ लिया है।
3. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं-
   - मैं ऐसे किसी कृत्य व्यवहार में सम्मिलित नहीं होऊँगा/होऊँगी जो रैगिंग के परिभाषा के अन्तर्गत आता हो।
   - मैं किसी भी रूप में रैंगिक में लिप्त नहीं होऊँगा/होऊँगी, उसको प्रोत्साहित अथवा प्रचारित नहीं करूँगा/करूँगी।
   - मै किसी को भी शारीरिक अथवा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करूँगा/करूँगी, अथवा कोई अन्य क्षति नहीं पहुचाऊँगा/पहुचाऊँगी।

हस्ताक्षर...................................... दिन.............................माह...............................वर्ष........................

नाम व पता

हस्ताक्षर ओथ कमिश्नर

माता/पिता/अभिभावक का शपथ पत्र प्रारूप

1. मैं ....पुत्र/पुत्री/श्री/श्रीमती.................................ने रैगिंग निषेध के विधि/उच्चतम न्यायालय तथा केन्द्रीय/राज्य सरकारों के इससे सम्बन्धित निर्देशों को भली भांति पढ़ लिया है।
2. मैं विश्वास दिलाता/दिलाती हुँ कि मेरा पुत्र/पुत्री/संरक्षित रैगिंग के किसी भी कृत्य में लिप्त नहीं होगा।
3. मैं सहमति देता/देती हूँ कि यदि उसे रैगिंग मे लिप्त पाया गया तो उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विरूद्ध एवं तत्समय लागू विधि व्यवस्था के अधीन दण्डित किया जाय।

हस्ताक्षर...................................... दिन.............................माह...............................वर्ष........................

नाम व पता

हस्ताक्षर ओथ कमिश्नर

या

विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे एन्टी रैगिंग शपथ पत्र हेतु **www.amanmovement.org** लॉग ऑन करें तथा समस्त प्रविष्टियां ऑनलाइन पूर्ण करने के पश्चात उपलब्ध फार्म को प्रिंट करके अपने तथा अपने अभिभावक के अलग-अलग फार्म पर हस्ताक्षर करने के उपरान्त प्रवेश के समय इस शपथ पत्र को जमा करें।

SHRI DEV SUMAN UTTARAKHAND, NEW TEHRI

आचार संहिता

समस्त छात्रों पर लागू होने वाली आचार संहिता निम्नवत् है

खण्ड-1

छात्रों द्वारा अनुशासनहीनता एवं दुर्व्यवहार पर अंकुश- छात्रों द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा दो या अधिक छात्रों अथवा व्यक्तियों के समूह में कृत निम्नलिखित गतिविधियां अनुशासनहीनता एवं दुर्व्यवहार समझा जायेगा।

1. विश्वविद्यालय अथवा उसके किसी संस्थान अथवा ऐसे संस्थान की किसी इकाई में किसी शिक्षक, कार्यकारी किसी अभिकरण इकाई अथवा अन्य निकाय के सदस्य, शिक्षणेत्तर कर्मचारी अथवा ऐसे किसी संस्थान अथवा इकाई के छात्र अथवा आधिकारिक नियन्त्रण पर अथवा किसी प्रशासनिक या शैक्षणिक कार्य हेतु परिसर में किसी आगन्तुक पर शारीरिक प्रहार, शारीरिक बल प्रयोग की धमकी अथवा कोई अन्य धमकाने वाला व्यवहार।

2. किसी भी रूप में विश्वविद्यालय तंत्र के किसी संस्थान अथवा संस्थान की इकाई में शिक्षण एवं अन्य शैक्षिक कार्यों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं एवं अन्य सुविधाओं के कार्यकलापों, प्रवेश एवं परीक्षा प्रक्रियाओं तथा प्रशासनिक कार्यों में किसी भी प्रकार से बाधा पहुंचाना।

3. विशेष निर्णय जिन पर विश्वविद्यालय के सन्दर्भ में नियन्ता अथवा अन्य संस्थानों के सन्दर्भ में सम्बन्धित संस्थान में अनुशासन निर्वहन हेतु उत्तरदायी अधिकारी की अनुमति के बिना विश्वविद्यालय एवं किसी भी संस्थान के परिसर में लाउडस्पीकरों अथवा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग।

4. विश्वविद्यालय के किसी भी संस्थान अथवा एक से अधिक संस्थानों या किसी संस्थान की इकाई द्वारा अपने परिसर में या अन्य आयोजित किसी शैक्षिक परिभ्रमण अथवा शिक्षण, शिक्षणेत्तर अथवा साहित्यिक, सांस्कृतिक अथवा अन्य समकक्ष कार्यक्रम में अनुचित व्यवहार।

5. उपखण्ड 4 में उल्लिखित किसी कार्यक्रम के रैफरियों, अम्पायरों या निर्णायकों के निर्णय का अनुपालन न करना अथवा विरोध करना।

6. विश्वविद्यालय की व्यवस्था के किसी संस्थान या ऐसे संस्थान की इकाई अथवा ऐसे संस्थान व इकाई से सम्बन्धित किसी व्यक्ति की छवि को धूमिल करने वाले कृत्य व वक्तव्य अथवा किसी साहित्य या दस्तावेज जिनमें पत्रावलियां, पंपलेट, पोस्टर, प्रेस अधिसूचनायें आदि सम्मिलित है का प्रदर्शन एवं वितरण।

7. आपत्तिजनक वस्तुओं एवं पदार्थों का रखना एवं वितरण।

8. ऐसा कोई कृत्य जो व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह मध्य के मनमुटाव अथवा धार्मिक, सामाजिक, क्षेत्रीय अथवा भाषायी आधार पर असहिष्णुता उत्पन्न करता हो अथवा उसका कारण बन सकता हो।

9. कोई कृत्य जो विश्वविद्यालय के परिनियमों, अध्यादेशों अथवा उपनियमों अथवा उनके अधीन बनाये गये नियमों की अवहेलना करता हो।

10. किसी शस्त्र के रखने, प्रदर्शन करने अथवा उससे धमकाने।

11. कोई कृत्य जो अन्य व्यक्तियों की स्वतन्त्रता को प्रभावित करता हो अथवा अन्य व्यक्तियों की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाता हो अथवा शारीरिक हिंसा करता हो अथवा अभद्र भाषा प्रयोग हो।

SHRI DEV SUMAN UTTARAKHAND, NEW TEHRI

वार्षिक/सेमेस्टर विवरण

उपस्थिति नियम (Rules for Attendence)

विश्वविद्यालय की बी0ए0, बी0एससी0, बी0कॉम0, व्यावसायिक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर सेमेस्टर सिस्टम लागू है। शासनादेश संख्या- 528(1)15-(उच्च शिक्षा)71/97, दिनांक- 11 जून 1997 के अनुसार कोई भी छात्र विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति तब तक प्राप्त नहीं कर सकेगा जब तक वह व्याख्यान और ट्यूटोरियल कक्षाओं में पृथक-पृथक 75% उपस्थिति पूरी नहीं करता। विज्ञान अथवा ऐसे अन्य विषयों जिनमें प्रयोगात्मक विषय है शिक्षण कार्य अवधि में 75%उपस्थिति अपेक्षित होगी।

निम्नलिखित स्थितियों में पूरे सत्र में किसी विषय में व्याख्यान और सेमिनार/प्रयोगात्मक कक्षाओं में पृथक-पृथक 6% तक की छूट संकायाध्यक्ष(डीन)/प्राचार्य द्वारा तथा 9%छूट मा0 कुलपति द्वारा दी जा सकती है।

1. (अ) विद्यार्थी की लम्बी और गम्भीर बीमारी में कक्षा में सम्मिलित होने के 15 दिनों के अन्दर यदि विद्यार्थी ने चिकित्सा प्रमाण पत्र दाखिल कर दिया हो या

   (ब) इसी के समकक्ष किसी अत्यन्त विशेष परिस्थिति में समुचित कारण देने पर।

2. विभागाध्यक्ष की संस्तुति पर स्नातक छात्र को विशेष अध्ययन के निमित्त किसी अन्य विश्वविद्यालय, संस्थान तथा उच्च अध्ययन के लिए किसी केन्द्र में व्याख्यान, प्रयोगात्मक कार्य के लिए कुलपति द्वारा 6 सप्ताह तक की अवधि की अनुमति दिये जाने पर कुलपति द्वारा उपस्थिति न्यूवता का मार्जन किया जा सकेगा। इसके लिए विश्वविद्यालय में अपनी उपस्थिति सूचित करने के लिए एक सप्ताह के भीतर विद्यार्थी को उस संस्थान के, जहाँ उस विद्यार्थी ने अध्ययन किया है, अध्ययन कक्षाओं में उपस्थिति, प्रयोगात्मक कार्य, पुस्तकालय में कार्य करने की तिथियों के निर्देश सहित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा आयोजित एन0सी0सी0 शिविर, खेलकूद के समारोह, राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर, शैक्षणिक पर्यटन में भाग लेने अथवा भारतीय सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिए साक्षात्कार के निमित्त जाने पर उपस्थिति न्यूनता मार्जन कर दिया जायेगा, बशर्ते सम्बन्धित सक्षम अधिकारी से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र अनुपस्थित रहने के एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया गया है।

नोटः-बी0ए0/बी0एससी0/बी0कॉम/एम0ए0/एम0एससी0/एम0कॉम तथा डिप्लोमा के पाठ्यक्रमों में उपस्थिति प्रवेश शुल्क जमा करने की तिथि से गिनी जायेगी।

कला संकाय (Faculty of Art)

बी0ए0 प्रथम वर्ष के लिए विषय चयन सम्बन्धी निर्देश

1. बी0ए0 प्रथम वर्ष में छात्र को तीन विषयों में प्रवेश लेना अनिवार्य है।
2. कोई भी छात्र हिन्दी, संस्कृत तथा अंग्रेजी में से कोई दो विषय चुन सकता है।
3. कोई भी छात्र मात्र दो प्रायोगिक विषयों का चयन कर सकता है किन्तु :
   (i) संगीत एवं चित्रकला के साथ मानव विज्ञान एवं रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन विषय का चयन नहीं किया जा सकता है।
   (ii) गृह विज्ञान के साथ गणित का चयन नहीं किया जा सकता है।
   (iii) संस्कृत के साथ मनोविज्ञान एवम् मानव विज्ञान का चयन नहीं किया जा सकता है।
   (iv) मानव विज्ञान के साथ संगीत, चित्रकला, संस्कृत, दर्शन शास्त्र एवं गृह विज्ञान का चयन नहीं किया जा सकता है।
   (v) अर्थशास्त्र के साथ संगीत, चित्रकला, मानव विज्ञान तथा दर्शन शास्त्र का चयन नहीं किया जा सकता है।
   (vi) भूगोल के साथ संगीत, चित्रकला, इतिहास तथा मानव विज्ञान का चयन नहीं किया जा सकता है।
4. केवल वहीं छात्र-छात्रा चित्रकला का अध्ययन कर सकते है जिन्होनें इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा सम्बन्धित विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो।
5. केवल वही अभ्यर्थी संगीत विषय ले सकते है जिनका 10+2 में संगीत रहा हो या जिन्होने भारतखण्डे संगीत संस्थान व प्रयाग संगीत समिति से मध्यमा/सीनियर डिप्लोमा/चार वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो। अन्य प्रतिभावान अभ्यर्थी यदि संगीत विषय लेने के इच्छुक हो तो विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष उसकी स्वर परीक्षा लेकर प्रवेश संस्तुत कर सकते है, परन्तु अन्य प्रतिबन्ध यथावत रहेगे।
6. केवल वे छात्र भूगोल का अध्ययन कर सकते है जिन्होनें इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा भूगोल के साथ उत्तीर्ण की हो।
7. केवल वे छात्र गणित का अध्ययन कर सकते हैं जिन्होंने इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा कला अथवा विज्ञान वर्गान्तर्गत गणित विषय के साथ उत्तीर्ण की हो।
8. रक्षा एवं स्त्रांतेजिक अध्ययन विषय का अध्ययन इण्टरमीडिएट विज्ञान/कला/वाणिज्य अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण छात्र कर सकते है।
9. गणित के साथ मात्र सांख्यिकी, अर्थशास्त्र तथा भूगोल विषय ही लिये जा सकते है।

वाणिज्य संकाय (Faculty of Commerce)

बी0कॉम0 तथा एम0कॉम0 प्रवेश हेतु नियम

1. बी0कामं0 प्रथम वर्ष में प्रवेश उन्हीं अभ्यर्थियों को दिया जायेगा जिन्होनें,
   (i) इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा वाणिज्य के साथ उत्तीर्ण की हो।
   (ii) इण्टरमीडिएट परीक्षा अन्य विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो किन्तु इन्हें Elementary Book Keeping की परीक्षा अलग से उत्तीर्ण करनी होगी।
2. एम0कॉम0 प्रथम वर्ष में प्रवेश उन्हीं अभ्यर्थियों को दिया जायेगा जो निम्न लिखित शर्ते पूरी करते हो,
   (i) बी0कॉम0 अथवा समकक्ष परीक्षा वाणिज्य के साथ उत्तीर्ण की हो।
   (ii) बी0ए0/बी0एससी0 परीक्षा अर्थशास्त्र अथवा गणित के साथ उत्तीर्ण की हो, किन्तु इन्हें Elementary Book Keeping की परीक्षा अलग से उत्तीर्ण करनी होगी।

स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश तथा योग्यता निर्धारण

1. एम0एससी0 विज्ञान एवं कृषि संकाय में प्रवेशार्थ न्यूनतम अर्हता इस विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय की बी0एस0सी0 परीक्षा में उत्तीर्ण न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक होगें।
कला, वाणिज्य एवं शिक्षा संकायों की स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु न्यूनतम् अर्हता इस विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय की बी0ए0/बी0कॉम0 परीक्षा में उत्तीर्ण 40 प्रतिशत अंक होगें। अनुसूचित जाति/अनु0जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश अर्हता में 5 प्रतिशत की छूट देय होगी। एम0ए0 में किसी भी विषय में प्रवेश बी0ए0 के किसी एक विषयों के आधार पर होगा।
स्नातकोत्तर स्तर पर विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश का निर्धारण सम्बन्धित संकाय अध्यक्ष/महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा विभागाध्यक्ष की संस्तुति के बाद ही किया जायेगा।
2. बी0एससी0/बी0कॉम/बी0एड0 में उत्तीर्ण छात्र किसी भी विषय में एम0ए0 प्रथम वर्ष में (प्रयोगात्मक विषय को छोड़कर) प्रवेश के लिए अर्ह होगें।
3. प्रयोगात्मक विषय में केवल उन्हीं विषय में प्रवेश अनुमन्य होगा जिसे छात्र ने बी0एससी0 अथवा प्रयोगात्मक विषयों के साथ बी0ए0 तीन वर्षीय पाठ्यक्रम के अन्तर्गत पढ़ा हो।
4. अभ्यर्थियों की योग्यता सूची का निर्धारण निम्नवत् किया जायेगाः

(अ) सूचकांक $(X/X + y/Y) \times 100$

यहाँ X = प्रवेश हेतु चयनित विषय में स्नातक के तीनों वर्षो के लिखित (Theory) के प्राप्तांकों का योग,
यहां X = प्रवेश हेतु चयनित विषय में स्नातक के तीनों वर्षो के लिखित (Theory) के पूर्णांकों का योग,
y= स्नातक के तीनों वर्षो के प्राप्तांकों का योग
Y= स्नातक के तीनों वर्षो के पूर्णांकों का योग

(ब) अतिरिक्त अंकों की गणना निर्धारित कर उसे सूचकांक (अ) में जोड़ दिया जायेगा।

i. आवेदक ने यदि उसी महाविद्यालय जिसमें प्रवेश ले रहा हो से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो तो पांच अंक एवम् श्री देव सुमन विश्वविद्यालय के स्नातक को अतिरिक्त तीन अंक देय होंगे।
ii. अन्तर विश्वविद्यालय तथा राज्य स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले आवेदक को पाँच तथा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल कूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले आवेदक को सात अंक देय होगें, विश्वविद्यालय स्तर पर महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने पर दो अंक देय होगे।
iii. एन0सी0सी0 'बी' प्रमाण पत्र धारक को दो अंक, 'सी' प्रमाण पत्र धारक को तीन अंक तथा गणतंत्र दिवस परेड (राष्ट्रीय) को पांच अंक।
iv. राष्ट्रीय सेवा योजना 'ए', 'बी' प्रमाण पत्र धारक या 240 घंटे + दो विशेष शिविरों को दो अंक, 'सी' प्रमाण पत्र धारक को तीन अंक तथा राष्ट्रीय एकीकरण शिविर/गणतंत्र दिवस परेड को पांच अंक (अधिकतम 5 अंक)
v. सेना में कार्यरत सैनिकों एवम् केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अधीन अर्द्धसैनिक बलों के आश्रितों (पति-पत्नी, पुत्र-पुत्री, पौत्र-पौत्री) को दो अतिरिक्त अंकों का लाभ सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर देय होगा।
vi. श्री देव सुमन विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के आश्रितों (पति-पत्नी, पुत्र-पुत्री) एवम् सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों व कर्मचारियों (पति-पत्नी, पुत्र-पुत्री) को उसी महाविद्यालय जिसमें उनके माता-पिता, पति-पत्नी कार्यरत हो को पांच अतिरिक्त अंक देय होगें।

5-व्यक्तिगत परीक्षा के पश्चात छात्र यदि बी0ए0/बी0कॉम/एम0ए0/एम0कॉम0 द्वितीय/तृतीय वर्ष में संस्थागत प्रवेश लेना चाहता है तो उसे अर्ह परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने आवश्यक है।

(नोटः- उपरोक्त 'ब' के अन्तर्गत अधिकतम देय अंक 15 ही होंगे।

SHRI DEV SUMAN UTTARAKHAND, NEW TEHRI

स्नातक कक्षाओं में प्रवेश तथा योग्यता निर्धारण

1. प्रत्येक महाविद्यालय विश्वविद्यालय द्वारा घोषित अंतिम तिथि तक निर्धारित सीटों के अनुसार ही प्रवेश देंगे।

2. स्नातक स्तर पर प्रवेश मेरिट या प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिये जायेंगे, जो महाविद्यालय प्रवेश परीक्षा आयोजित करायेंगे। वे विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में निर्धारित की गई अन्तिम तिथि से पहले सारी औपचारिकतायें पूरी कर छात्रों को निम्न मानकों के अनुसार प्रवेश देना सुनिश्चित करेंगे।

3. (i) प्रवेश परीक्षा प्राप्ताकों का 60 प्रतिशत तथा इण्टरमीडिएट/समकक्ष अर्ह परीक्षा के प्राप्ताकों का 40 प्रतिशत जोड़कर कर योग्यता सूची बनाई जायेगी।

   (ii) प्रवेश परीक्षा का आयोजन न होने की स्थिति में मेरिट के आधार पर प्रवेश दिये जयेगें। योग्यता सूची इण्टरमीडिएट/समकक्ष अर्ह परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर बनाई जायेगी।

4. उक्त दोनो स्थितियों में अतिरिक्त अंक निम्न प्रकार से आवंटित कर अंतिम योग्यता सूची बनाकर प्रवेश दिया जाय।

   (i) राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल कूद प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को क्रमशः 5 तथा 7 अतिरिक्त अंक देय होगें।

   (ii) एन0सी0सी0 'बी' प्रमाण पत्र धारक को 2 अंक, 'सी' प्रमाण पत्र धारक को 3 अंक तथा गणतंत्र दिवस परेड (राष्ट्रीय) को 5 अंक, (अधिकतम 5 अंक)

   (iii) राष्ट्रीय सेवा योजना 'ए', 'बी' प्रमाण पत्र धारक या 240 घंटे + दो विशेष शिविरों को 2 अंक, 'सी' प्रमाण पत्र धारक को 3 अंक तथा राष्ट्रीय एकीकरण शिविर/गणतंत्र दिवस परेड को 5 अंक (अधिकतम 5 अंक)

   (iv) स्काउट में पद सोपान–1 धारक को 1 अंक तथा पद सोपान–3 धारक को 2 अतिरिक्त अंक देय होगे, निपुण धारक को 1 अंक, राज्य पुरस्कार को 2 अंक तथा राष्ट्रपति पुरस्कार को 3 अंक देय होंगे (अधिकतम 5 अंक)

नोटः–उपरोक्त (cc), (ccc) एवं (cp) में सेप्रवेशार्थियों को किसी भी दशा में पांच अंकों से अधिक लाभ नहीं दिया जायेगा।

   (v) सेना में कार्यरत सैनिकों एंव केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अधीनस्थ अर्द्धसैनिक बलों के आश्रितों (पति–पत्नी, पुत्र–पुत्री, पौत्र–पौत्री) को 3 अंको का लाभ सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर मिलेगा। व्यवसायिक विषय जैसे एम0एड0/बी0एड0 विषयों में प्रवेश परीक्षा का आयोजन विश्वविद्यालय करेगा जिसकी तिथि पृथक से घोषित की जायेगी।

नोटः–

1. अधिकतम देय अंक 15 ही होगें।
2. विश्वविद्यालय स्तर पर जिन व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा आयोजित की जायेगी उनके प्रवेश नियमों एवम् तिथियों को अलग से प्रकाशित/प्रचारित किया जायेगा।

प्रवेश नियम सत्र 2018-19
(Admission Rules)

निम्न नियम सभी कक्षाओं पर लागू होगें

1. स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए महाविद्यालय/संकाय में सम्बन्धित प्राचार्य/संकायाध्यक्ष प्रवेश समितियों का गठन करेगें, जो अलग-अलग संकायों में प्रवेश सम्बन्धी कार्यो का दायित्व पूर्ण करेगें। तत्-तत् संकायों में प्रवेश के लिए उक्त समिति और प्राचार्य/संकायाध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।
2. समितियों की विधिवत् गठन की सूचना प्राचार्य/संकायाध्यक्ष विश्वविद्यालय को भी प्रेपित करेंगे।
3. विज्ञान संकाय में प्रवेश के लिए अर्हता परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक तथा कला एवम् वाणिज्य संकाय में प्रवेश के लिए अर्हता परीक्षा में 40 प्रतिशत अंक आवश्यक है। अनुसूचित जाति एवम् अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए स्नातक एवम् स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हता में 5 प्रतिशत अंकों की छूट देय होगी।
4. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडें वर्ग के प्रवेशार्थियों को आरक्षण की सुविधा शासनादेश संख्या-1144/कार्मिक-2-2001-53(1)/2001 द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार अनुमन्य होगी जो कि निम्नवत् है।
   - अनुसूचित जाति- 19 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति- 04 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग- 14 प्रतिशत, इसके अतिरिक्त उपरोक्त श्रेणियों एवं सामान्य श्रेणी के प्रवेशार्थियों में निम्न प्रकार से क्षैतिज आरक्षण देय होगा: महिला- 30 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिक- 05 प्रतिशत, दिव्यांग- 04 प्रतिशत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित- 02 प्रतिशत। आरक्षण केवल उत्तराखण्ड राज्य के अभ्यर्थियों के लिए ही होगा।
   - उत्तराखण्ड राज्य के अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक कक्षा में 90 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहेगें। प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों को अधिकतम 10 प्रतिशत स्थानों पर ही प्रवेश मिल सकेगा, बशर्ते वे वरीयता सूचकांक में अर्ह हो। उत्तराखण्ड से बाहर की सीट रिक्त रहने की स्थिति में उत्तराखण्ड के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सूची के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।
   - दिव्यांग अभ्यर्थियों को सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थी जिस श्रेणी में आता है, उसी श्रेणी में 04 प्रतिशत का आरक्षण देय होगा। स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश हेतु संकाय में स्नातकोत्तर स्तर की सम्पूर्ण सीटों की संख्या के आधार पर विकलांग श्रेणी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या की गिनती की जायेगी, तदुपरान्त प्राचार्य/संकायाध्यक्ष यह निर्णय लेगें कि आरक्षित सीटों पर प्रवेशार्थी उपलब्ध न होने पर सीटों को सामान्य श्रेणी से भरा जा सकेगा।
5. प्रवेश की अन्तिम तिथि तक यदि 10+2 अनुपूरक या कम्पार्टमेंट का परिणाम घोषित होता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को भी प्रवेश दिया जा सकता है, वशर्ते कि उन्होने निर्धारित तिथि तक प्रवेश आवेदन पत्र जमा कर दिये हों।
6. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से (10+2) इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अर्ह हैं। दसवीं के बाद दो वर्ष का अन्तराल तथा पांच विषय हों।
7. स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं/विषयो में प्रवेश निर्धारित सीटों पर ही होगा।
8. संस्थागत परीक्षार्थी पूर्व संस्था के प्राचार्य का तथा व्यक्तिगत परीक्षार्थी किसी राजपत्रित अधिकारी, लोकसभा/विधानसभा के सदस्य अथवा किसी महाविद्यालय के प्राचार्य/नियंन्ता द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करें।

9. माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तथा भारत सरकार के आदेश के अनुपालन में स्नातक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन अनिवार्य विषय के रूप में प्रारम्भ किया जा चुका है। बी0ए0 प्रथम सेमेस्टर के अभ्यर्थी तथा बी0कॉम0 एवं बी0एस0सी0 के द्वितीय सेमेस्टर के अभ्यार्थी अन्य तीन विषयों के साथ पर्यावरण विषय का अध्ययन भी करेंगें, जो कि उत्तीर्ण करना आवश्यक है। पर्यावरण विषय का अध्ययन बी0ए0 प्रथम सेमेस्टर तथा बी0एस0सी0, बी0कॉम द्वितीय सेमेस्टर में किया जायेगा। जिसे उत्तीर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।
10. प्रवेश आवेदन-पत्र पर स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (TC) तथा चरित्र प्रमाण-पत्र (CC) मूल रूप में संलग्न करना आवश्यक है। किसी अन्य विश्वविद्यालय के छात्र को एक माह के अन्दर प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) जमा करना आवश्यक है, अन्यथा अस्थाई प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
11. प्रवेश के समय अभ्यर्थी को प्रवेश समिति/प्राचार्य के समक्ष मूल प्रमाण पत्रों सहित स्वंय उपस्थित होना होगा, ताकि उसके छाया चित्र एवंम् प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जा सके।
12. बी0एड0 में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर मैरिट अंकों के अनुसार उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश की अधिसूचना के अनुसार दिया जायेगा।
13. एम0एड0 में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को हाई स्कूल से लेकर बी0एड0 तक की सभी कक्षाओं में द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
14. इन्दिरा गॉधी मुक्त विश्वविद्यालय से बी0एड0 उत्तीर्ण छात्र/छात्रायें एम0एड0 में प्रवेश हेतु अर्ह है।
15. अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र/छात्राओं को उसी कक्षा एवम् संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। इस विश्वविद्यालय से अनुत्तीर्ण छात्र अथवा ड्राप-आउट भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। ड्राप-आउट से तात्पर्य है कि छात्र द्वारा विधिवत प्रवेश लेने के पश्चात पूरे सत्र अध्ययन किया हो परीक्षा आवेदन-पत्र भरा हो, और किसी कारणवश परीक्षा में सम्मलित न हुआ हों।
16. स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों का अनुत्तीर्ण होने अथवा चिकित्सा के आधार पर या अन्य वैध कारण पर केवल एक बार संकाय बदल कर प्रवेश दिया जा सकता है प्रवेश लेने से पूर्व प्रत्येक छात्र को स्थानान्तरण प्रमाण पत्र/प्रवजन प्रमाण पत्र एवम् चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
17. छात्र/छात्राओं को स्नातक स्तर पर छः (6) वर्ष तथा स्नातकोत्तर स्तर पर चार (4) वर्ष तक ही संस्थागत विद्यार्थी के रूप में अध्ययन करने की सुविधा रहेगी जिसमें एक वर्ष का गैप भी सम्मिलित रहेगा। यह नियम व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं होगा अर्थात व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के छात्र उक्त अवधि के पश्चात भी अध्ययनरत रह सकते हैं। केवल वे ही छात्र भूतपूर्व छात्र का लाभ ले सकेगें जिन्होनें पूरे समय अध्ययन किया हो अथवा विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश पत्र/अनुक्रमांक दिया गया हो और वह चिकित्सा के आधार पर आवेदन करता है।
18. जिन छात्रों की गतिविधियां नियन्ता मण्डल/प्रशासन की राय में अवांछनीय है उन्हें प्रवेश लेने से रोका जा सकता है, अथवा निकाला जा सकता है या उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। न्यायालय द्वारा दण्डित अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
19. संकाय अथवा विषय बदलकर उसी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा जिसकी परीक्षा छात्र एक बार उत्तीर्ण कर चुका हो अर्थात एक संकाय की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात उसी कक्षा/दूसरे संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। उदाहरणार्थ- यदि किसी छात्र ने एम0ए0 अर्थशास्त्र उत्तीर्ण कर लिया हो तो उसे कला संकाय के किसी अन्य विषय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, और न ही वह किसी संकाय की समकक्ष कक्षा में प्रवेश ले सकता है।
20. नियमानुसार अनुचित साधन के अन्तर्गत दण्डित छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
21. प्रवेश के अन्तिम तिथि के बाद अविचारित आवेदन पत्र स्वत: निरस्त समझे जायेगें।

22. प्रवेश प्राप्त छात्रों की सूची विश्वविद्यालय को प्रेषित करने के पश्चात यदि कोई प्रवेश दिया जाता है तो वह अवैध होगा। 15 दिन के भीतर सूची विश्वविद्यालय को प्रेषित की जानी होगी।
23. छात्र/छात्रा के शुल्क रसीद एवं परिचय पत्र में भी आंवटित विषय का उल्लेख किया जायेगा।
24. जिन प्रवेशार्थियों को प्रवेश समिति/संकायाध्यक्ष/प्राचार्य प्रवेश प्रदान करेगें उनकी सूचना समय-समय पर सम्बन्धित विषयों के विभागाध्यक्षों को दी जायेगी, इन्हीं सूचियों के आधार पर विभिन्न विभागों की छात्र उपस्थिति पंजिका में छात्र/छात्राओं के नाम पंजीकृत किये जायेगें।
25. संस्थागत छात्र एक ही सत्र में अन्य किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश नहीं लेगा, और न ही अन्य उपाधि हेतु परीक्षा में सम्मलित होगा। यदि कोई छात्र/छात्रा इस नियम का उल्लंघन कर परीक्षा में सम्मलित होता है तो विश्वविद्यालय द्वारा उसकी परीक्षा निरस्त कर दी जायेगी।
26. यदि किसी छात्र ने बी0कॉम/बी0ए0 प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा व्यक्तिगत रूप से उत्तीर्ण की है और द्वितीय/तृतीय वर्ष में संस्थागत रूप से प्रवेश लेना चाहता है तो उसके लिए बी0कॉम/बी0ए0 प्रथम/द्वितीय वर्ष में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। इसी प्रकार एम0कॉम/एम0ए0 के लिए भी व्यक्तिगत प्रथम वर्ष में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है।
27. छात्र/छात्राओं द्वारा जमा की गई प्रतिभूति धनराशि उसके उत्तीर्ण होने के एक वर्ष तक ही सुरक्षित रखी जायेगी, तदुपरान्त वह निरस्त समझी जायेगी।
28. शैक्षिक कलैण्डर सभी महाविद्यालयों/संस्थानों पर एक समान रूप से लागू होगा।
29. उत्तराखण्ड प्रदेश के अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को प्रवेश के पूर्व अपना पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
30. कश्मीरी विस्थापित अभ्यर्थियों को प्रवेश तिथि में तीस दिनों के छूट के साथ-साथ न्यूनतम निर्धारित अंकों के प्रतिशत में भी 10 प्रतिशत की छूट देय होगी।
31. रैगिंग एक गैर कानूनी गतिविधि घोषित की गई है। रैगिंग में लिप्त विद्यार्थी को निष्कासित कर दिया जाएगा और कानून के दायरे में आ जाएगा। प्रवेश लेते समय प्रत्येक विद्यार्थी यू0जी0सी0 की वेबसाइट पर एंटी रैगिंग सम्बन्धी पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा, जिसकी एक प्रति महाविद्यालय में भी जमा करनी होगी।
32. अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् दो वर्ष तक का अन्तराल हो और वह प्रवेश की सभी शर्तो का अनुपालन करता है तो विश्वविद्यालय ऐसे प्रवेशार्थी को प्रवेश दे सकता है, परन्तु इस समय अन्तराल का शपथ-पत्र एवं चरित्र प्रमाण-पत्र जमा करना होगा जिससे सक्षम अधिकारी संतुष्ट हो।
33. प्रवेश की अन्तिम तिथि तक यदि 10+2 अनुपूरक या कम्पार्टमेंट का परिणाम घोषित होता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को भी प्रवेश दिया जा सकता है। बशर्ते कि इन्होंने निर्धारित तिथि तक प्रवेश आवेदन पत्र जमा कर दिये हों।
34. राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से (10+2) इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अर्ह हैं। बशर्ते कि 10वीं के बाद दो वर्ष का अन्तराल तथा पांच विषय से उत्तीर्ण हों।
35. स्नातक स्तर पर विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु सीटों का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।
36. दो वर्ष से अधिक गैप के पश्चात प्रवेश नहीं मिलेगा यदि अभ्यर्थी ने किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के पश्चात किसी व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो और उसकी परीक्षा भी दी है तो उस अवधि को गैप नहीं माना जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी को भी स्नातक 6 वर्ष तथा स्नातकोत्तर 4 वर्षो में उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। उक्त अवधि सुनिश्चित करने पर ही अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा।

प्रवेश सम्बन्धी आवश्यक निर्देश
(Important Instruction for Admission)

1. विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित किसी भी पाठ्यक्रम/कार्यक्रम में आवेदन के इच्छुक आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि वे अपनी रूचि के विषय चुनने और आवेदन पत्र भरने से पूर्व सभी प्रवेश नियमों को ध्यान पूर्वक पढ़ लें।
2. प्रवेश हेतु आवेदन पत्र के साथ स्थानान्तरण प्रमाण पत्र(टी0सी0)/माइग्रेशन सार्टिफिकेट मूल रूप से लगानी आवश्यक है।
3. प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को स्वयं मूल प्रमाण पत्रों सहित उपस्थित होना अनिवार्य है। प्रवेश आवेदन पत्र के साथ अंकतालिकाओं तथा खेल एवम् अन्य प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित प्रतिलिपियां लगाई जानी आवश्यक है।
4. प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी का नवीनतम् स्व हस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ (रंगीन) को उचित स्थान पर चिपकाना आवश्यक है।
5. प्रवेश मिलने के पश्चात सामान्यत: विषय परिवर्तन नहीं किया जायेगा। सीटों की उपलब्धता होने पर ही प्रवेश समिति प्रवेश तिथि की समाप्ति के 10 दिनों के अन्तर्गत विषय परिवर्तन पर विचार किया जा सकता है।
6. प्रत्याशी निर्धारित तिथि से पूर्व तक प्रवेश आवेदन पत्र कार्यालय में जमा कर दें। उसके पश्चात किसी प्रवेश आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय परीक्षा शुल्क ऑनलाईन जमा करना होगा। प्रवेश शुल्क जमा करने के पश्चात निर्धारित अवधि में परीक्षा फार्म भरकर प्राचार्य/निदेशक कार्यालय में जमा करना होगा अन्यथा पवेश निरस्त किया जा सकता है
8. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थानों को बिना कारण बतायें किसी भी आवेदक को प्रवेश लेने हेतु मना कर सकता हैं या उसका प्रवेश बिना कारण बताये निरस्त कर सकता है।
9. प्रत्येक छात्र को प्रवेश के लिए अंतिम अधिसूचित तिथि से पूर्व तक एकमुश्त वार्षिक शुल्क जमा कराना होगा। ऐसा न होने पर विद्यार्थी की प्रवेश स्वीकृति स्वत: ही निरस्त हो जायेगी किन्तु कश्मीर से पुनर्स्थापितों के लिए अंतिम तिथि में एक माह की छूट का प्रावधान है।
10. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग इत्यादि आरक्षित श्रेणी से आच्छादित अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रपत्र पर उपजिलाधिकारी/जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
11. युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिको के आश्रितों (पुत्र/पुत्री/पत्नी/भाई/बहिन को) यदि वे अर्ह हो तो स्नातकोत्तर स्तर पर प्रति विषय एक सीट तथा स्नातक स्तर पर सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
12. निर्धारित सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्गत प्रमाण प्रत्रों पर ही प्रवशे समिति द्वारा विचार किया जायेगा।
13. अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

संकायों का विवरण

विज्ञान संकाय (Faculty of Science)

बी0एससी0 प्रथम वर्ष के लिए विषय चयन सम्बन्धी नियम

बी0एससी0 प्रथम वर्ष में प्रवेशार्थियों को निम्न संवर्गो में से वही संवर्ग देय होगा जिस संवर्ग से उसने इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो अर्थात गणित संवर्ग (गणित, रसायन, भौतिक) से उत्तीर्ण अभ्यर्थी को गणित संवर्ग तथा प्राणी विज्ञान संवर्ग (वनस्पति, रसायन, जन्तु) से उत्तीर्ण अभ्यर्थी को प्राणी विज्ञान संवर्ग के विषय अनुवर्ग ही अनुमन्य होगें। अभ्यर्थी वरीयता क्रम में अपने संवर्ग में तीन विषय, प्रवेश आवेदन-पत्र पर अंकित करेंगे। प्रवेश समिति द्वारा आवंटित अनुवर्ग विषय अन्तिम और अपरिवर्तनीय होगा।

निम्न अनुवर्ग विश्वविद्यालय के सभी परिसर एवम् सम्बद्ध महाविद्यालयों पर उनके यहां उपलब्ध विषयों के अनुरूप लागू होगें।

गणित संवर्ग

- भौतिकी-गणित-रसायन
- भौतिकी-गणित-सांख्यिकी
- भौतिकी-गणित-भू-विज्ञान
- भौतिकी-गणित-रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन
- भौतिकी-गणित-भूगोल
- अर्थशास्त्र-गणित-सांख्यिकी
- भौतिकी-रसायन-भूविज्ञान
- भूगोल-भूविज्ञान-रसायन

प्राणि विज्ञान संवर्ग

- वनस्पति-जन्तु-रसायन
- वनस्पति-रसायन-भूविज्ञान
- वनस्पति-जन्तु विज्ञान-रक्षा एवं स्त्रांतेजिक अध्ययन
- वनस्पति-जन्तु विज्ञान-मानव विज्ञान
- वनस्पति-जन्तु विज्ञान-भू विज्ञान
- जन्तु विज्ञान-रसायन-भू विज्ञान

गृह विज्ञान संवर्ग

- अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.)द्वारा निर्धारित मान्य होगी।